Committee to look into the extremely slow pace of industrial development and lack of adequate infrastructure, like railway lines, roads, waterways, airways, bridges and other amenities like postal services, telecommunications, drinking water, banking and health services, institutions for technical and vocational education and the promotion of tourism, hydel-generation, forestry, agriculture including horticulture, irrigation, mass communication system in the hilly regions of the country, resulting in their extreme backwardness and to suggest ways and means to ensure their rapid economic development so as to bring them at par with the developed regions of the country within a period of five years."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shri Atal Bhari Vajpayee will move his resolution.

He is absent.

17.50 hrs.

RESOLUTION RE: PREVENTION OF TARNISHING OF IMAGE OF MAHATAMA GANDHI

SHRI TYYAB HUSSAIN (Faridabad): Sir, I beg to move:

"This House recommends to the Government that any action by signs, words or publications to tarnish the image of Mahatama Gandhi, the Father of our Nation, be made a cognisable offence.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला बहुत अहमियत का है। जहां यह फादर आफ दि नेशन का मामला है वहां यह सारे मुल्क का भी मामला है। इस से यह बात सब के सामने आती है कि महात्मा गांधी का जंगे आजादी में जो रोल रहा वह हम सब के सामने है। उन्होंने हमारे मुल्क को आजादी हासिल की। हम लोगों ने उनकी कयादत में, उनकी अगुवाई में इस में हिस्सा लिया। उन्होंने जो परेशानियां और दिक्कतें उठायी वे हम सब लोगों के सामने हैं। उन्होंने जितनी कुर्बानियां दीं, उनके साथ हमारे देश के नेताओं पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, हमारे बहुत सारे शहीदों जैसे सरदार भगत सिंह आदि, कितनों का नाम लिया जाए, ने भी कुर्बानियां दी और यह आजादी हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने इस आजादी को हासिल करने में जो काम किया वह भी इस मुल्क के सामने है।

इस सिलसिले में हमें यह देखना है कि महात्मा गांधी ने जो जंगे आजादी में काम किया जिसके लिए उन्हें हम आजादी के बाद देश का पिता मानते हैं, यह कह कर उनका सम्मान करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, उनके सम्मान में फर्क तो नहीं आ रहा है।

आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद में ट्रायल हुआ और उसके बाद अंग्रेज सेशन जज ने जो फैसला दिया तो उसके साथ साथ उन्होंने अपना इस्तीफा भी सरकार को दिया। इस्तीफा देते हुए उस अंग्रेज सेशन जज ने ये अल्फाज कहे कि यह फैसला मुल्क के कानून की पालना तो करता है लेकिन मेरे जमीर पर चोट पहुंचाता है जब हमारे सामने ऐसे फैसले हैं, लोगों के ऐसे जजबात हैं तो हमें यह देखना है कि आज हम उनकी शान में क्या करने जा रहे हैं।

हमने उनकी शहादत में एक मेमोरियल कायम किया जिसको हम गांधी स्मृति कहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इस हाउस के एक फोरमर मेम्बर श्री शशि

[श्री तैय्यब हुसैन]

भूषण जी ने और मनीराम जी बागड़ी ने भी बिरला हाउस के सिलसिले में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जिससे कि वह एक कौमी मिल्कियत बन सका। उनका यह सराहनीय काम है। लेकिन आज वहां जाकर देखा जाय कि किस तरह की किताबें बिक रही है और उन किताबों में किस तरह की चीजें है एक किताब जो वहां पर बिक रही थी, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे मकवाना साहब भी वहां तशरीफ ले गये थे और उन्होंने खुद उस किताब को वहां से खरीदा था। वह किताब है—'द मैन हू किल्ड गांधी'। यह किताब श्री मनोहर मुलगांवकर ने लिखी है। यह किताब वहां पर बिक रही है। इसमें किस तरह की चीजें है, इसको पढ़कर मैं बताता हूं। इसमें आथर ने शुरू में माना है कि आम हालत में इसमें इस तरह की चीज नहीं लिखी जाती है। पब्लिशर ने लिखा है—

"The publication of this book has been held over because it was considered inadvisable to bring it out while the 'Emergency' in India lasted. It was feared that the book might be prescribed and might land its author in trouble. That this fear was not altogether unreal was proved when, shortly after the Emergency had ended, the author received a package containing a copy of his typescript which had been intercepted in the mails by the censor. Many of its passages were ominously marked in red ink and the relevant pages 'flaged for easy reference.'

यहां इस तरह के इसके अंदर हवाले हैं। सके आगे देखिए पेज 14 पर लिखा है—

"Gandhi belonged to the bania, or trader caste, a people known for their shrewed business sense; and try to make one weapon, even a last weapon, do the work of two was sound business sense...

इसमें आगे चल कर पेज—20 पर लिखा है—**

इस तरह के इसमें रिफ्रेंसेज है। इस तरह की किताब गांधी स्मृति में बिके, यह देखने की बात है। इसमें पेज—85 पर लिखा है—

"Gandhi-ko marne do, Ham ko Makan do."

इस तरह के रिफरेंस इसमें है। पेज—92 पर इसमें लिखा है—**इस तरह के इसमें रिफरेंस है। इसमें जो लीडर है उनका चरित्र बताने के बजाय इस किताब को कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई है।

"...Then he broke his fast, by taking a glass of fruit juice which was handed to him by a Muslim friend, Abul Kalam Azad..."

MR DEPUTYL-SPEAKER: One or two instances would be sufficient. You are giving publicity to that book. One or two instances would be sufficient.

SHRI BHIKU RAM JAIN (Chandni Chowk): He is trying to state that a book is being sold, which is derogatory...

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is correct. Not all. It is better that we don't read those things.

SHRI TAYYAB HUSSAIN: What I am doing is this that I am just giving references.

MR. DEPUTY SPEAKER: You have quoted 1 or 2. That is sufficient. You go on.

SHRI TAYYAB HUSSAIN: There is so much of material. I don't think any can be omitted, because on page 142**

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY SPEAKER: No this will not go on record. This will not go on record. No. You come to the subject proper. Not necessary. No.

श्री कमलापति त्रिपाठी : (वाराणसी) : आपका प्रस्ताव अच्छा है लेकिन यह बुरा लगता है ।

श्री तैय्यब हुसैन : ठीक है, जैसा पंडित जी आप कहें ।

मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्कस हैं और इस तरह की बातें हैं। इस तरह की और भी बातें इसमें हैं–"गांधी वध और मैं" इस तरह के रिफरेंसस वहां पर हैं । यहीं नहीं बल्कि वहां पर जो तस्वीरें लगी हुई है वह भी ठीक नहीं है। जहां पर उन्होंने जामें शहादत पिया वहां पर इस तरह को तस्वीर लगी हुई है। इसकी तरफ मैं आपको तवज्जह दिलाना चाहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार के खर्चे में, सरकार के पैसे से इस तरह की तस्वीरें–पेंटिंग वहां पर है, यह बड़ा अजीब लगता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tayyab Hussain, you can continue next time. Now papers Laid on the Table. Mr. Barot.

18.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944:—

(1) Notification No. 107|81-CE published in Gazette of India dated the 24th April, 1981 together with an explanatory memorandum regarding extension of excise duty concession for tyres manufactured by Units from which clearance of tyres is effected for the first time during the period from 1st April, 1976 to 31st March, 1984. [Placed in Library. *See* No. LT—2415/81].

(2) Notification No. 108|81-CE published in Gazette of India dated the 24th April, 1981 together with an explanatory memorandum regarding extension of excise duty concession for writing and printing paper manufactured by integrated pulp and paper mills (manufacturing paper out of bamboo or other wood pulp) from which the clearance of paper or paper board is effected for the first time during the period from 1st April, 1979 to 31st March, 1984 [Placed in Library. *See* No. LT—2415/81].

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to reassemble on Monday, the 27th April, 1981, at 11 A.M.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 27th April, 1981/Vaisakha 7, 1903 (Saka).

**Expunged as ordered by the Chair.

GMGIPND—Job III—729 L. S.—23-7-81—890.